



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032022-234430
CG-DL-E-24032022-234430

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 150]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 24, 2022/चैत्र 3, 1944

No. 150]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 24, 2022/CHAITRA 3, 1944

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2022

फा. सं. CEA-PS-13-23(13)/1/2022-PSPM Division.—जबकि मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय, 104, मुनीश प्लाजा, 20, अंसारी रोड, दरयागंज, नई दिल्ली -110002 है, ने पारेषण योजना “जैसलमेर, राजस्थान में एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की 4x300 मेगावाट की सौर्य उर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन सिस्टम” के तहत बिजली की तार बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. सी.ई.ए-पी.एस-11-21(25) /1/2018-पी.एस.पी.ए-1, डिवीजन/235 दिनांक 20.04.2020 के द्वारा पारेषण योजना “जैसलमेर, राजस्थान में एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की 4x300 मेगावाट की सौर्य उर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी ट्रांसमिशन सिस्टम” के अंतर्गत आने वाली शिरोपरि लाइन के लिए एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने दिनांक 31.07.2021 [हिंदुस्तान टाइम्स (अंग्रेजी में), नई दिल्ली/राजस्थान प्रकाशन], दिनांक 31.07.2021 [द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी में), जयपुर प्रकाशन], दिनांक 30.07.2021 [राजस्थान पत्रिका (हिंदी में), जैसलमेर, बाडमेर प्रकाशन] और दिनांक 30.07.2021 [दैनिक नवज्योति (हिंदी में), जोधपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर प्रकाशन] तथा भारत का राजपत्र दिनांक 21.08.2021 में पारेषण योजना के लिए प्रस्तावित पारेषण मार्ग पर प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आम जनता की टिप्पणियों/

अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने 07.12.2021 दिनांकित एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई कि समाचार पत्रों/भारत का राजपत्र में उपरोक्त पारेषण योजना के लिए सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पारेषण योजना “मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड” ने अपने प्रस्तावित 4x300 मेगावाट की सौर्य उर्जा परियोजना के लिए कनेक्टिविटी सिस्टम के तहत विद्युत लाइन बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शिरोपरि लाईन हैं:

1. एकमे फतेहगढ़ I, II, III & IV सोलर पावर प्लांट के कॉमन पूलिंग पॉइंट से फतेहगढ़ 400 के वी एस.सी लाइन उपरोक्त स्कीम के अंतर्गत शिरोपरि लाईन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

गांवों के नाम	तालुक	जिला	राज्य
सनवारा	पोखरण	जैसलमेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, “मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड” को उपरोक्त शिरोपरि लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है-

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (v) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- (vi) “मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड” को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- (vii) मेसर्स एकमे सोलर होलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को ओवरहेड लाइन बिछाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 19.04.2021 जीआईबी (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड) मामले के संबंध में 2019 की रिट याचिका संख्या 838, 2020 के आईए नंबर 85618 का पालन करना होगा।

वी. के. मिश्रा, सचिव, के.वि.प्रा.

[विज्ञापन-III/4/असा./707/2021-22]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY**ORDER**

New Delhi, the 18th February, 2022

F. No. CEA-PS-13-23(13)/1/2022-PSPM Division.—whereas M/s. ACME Solar Holdings Private Limited, the applicant with its registered office at 104, Munish Plaza, 20, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi-110002, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric line under the transmission scheme “Connectivity system of M/s. ACME Solar Holdings Limited (ASHL) for its 4x300 MW Solar power plants in Jaisalmer, Rajasthan”

And whereas, CEA, Ministry of Power, Government of India vide its Letter No. CEA-PS-11-21(25)/1/2018-PSPA-I Division/235 Dt: 20.04.20 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 to M/s. ACME Solar Holdings Private Limited for the overhead line covered under the transmission scheme “Connectivity system of M/s. ACME Solar Holdings Limited (ASHL) for its 4x300 MW Solar power plants in Jaisalmer, Rajasthan”.

M/s. ACME Solar Holdings Private Limited has published notice for transmission scheme in local newspapers dated 31.07.2021 [Hindustan Times (in English), New Delhi/Rajasthan edition], dated 31.07.2021 [The Indian Express (in English), Jaipur edition], dated 30.07.2021 [Rajasthan Patrika (in Hindi), Jaisalmer, Barmer edition] and dated 30.07.2021 [Dainik Navjyoti (in Hindi), Jodhpur, Jaipur, Ajmer, Kota and Udaipur edition] and in Gazette of India dated 21.08.2021 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within 60 days from the date of publication. Subsequently, M/s. ACME Solar Holdings Private Limited has submitted an affidavit dated 07.12.2021 declaring that no objection has been received from public within 60 days of publication of Public Notice in newspapers/Gazette of India.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Connectivity system to M/s ACME Solar Holdings Limited (ASHL) for its 4x300 MW Solar power plants in Jaisalmer, Rajasthan”. The following overhead line is covered under this transmission scheme:

- (i) Common pooling point of ACME Fatehgarh I, II, III & IV solar power plants – Fatehgarh 400 kV S/C line

The above overhead line included under the scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

NAME OF VILLAGES	TALUK	DISTRICT	STATE
Sanawara	Pokhran	Jaisalmer	Rajasthan

Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s ACME Solar Holdings Private Limited for laying above overhead line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned lines, namely:

- The approval is granted for 25 years;
- The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.

- (iv) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- (v) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vi) M/s. ACME Solar Holdings Private Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.
- (vii) M/s. ACME Solar Holdings Private Limited shall comply with the direction of Hon'ble Supreme Court of India in its Order in I.A No. 85618 of 2020 dated 19.04.2021 related to GIB (Great Indian Bustard) in Writ Petition No. 838 of 2019 for laying of overhead transmission lines.

V. K. MISHRA, Secy., CEA
[ADVT.-III/4/Exty./707/2021-22]